दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No. 15/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.12.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (सुनील पुरी पुत्र लक्ष्मण पुरी, निवासी– पंचायत भवन के पास, सिवेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कामाख्या किराणा एवं जनरल स्टोर, सिवेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही) के अधिवक्ता उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या– 2 (Jain Padam Natural, 225 Kevada Badi, Sojat City, Pali जरिये प्रोपराईटर दिनेश चौहान पुत्र मदन लाल जी, जाति– माली, निवासी– बेरा केवला बाडी, सोजत सिटी, जिला– पाली) अनुस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी केसाराम के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.1.2022 को फर्म कामाख्या किराणा एवं जनरल स्टोर, सिवेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुनील पुरी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ अचार (पदम ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1588 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./228/Act/2022/213 दिनांक 03.2.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी सुनील पुरी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सुनील पुरी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी सुनील पुरी ने जरिये बिल अचार (पदम ब्राण्ड) क्रय किया था एवं अचार (पदम ब्राण्ड) की निर्माता फर्म को पक्षकार बनाये ही यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है। जिस पर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2023 को इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत खाद्य पदार्थ अचार (पदम ब्राण्ड) की निर्माता फर्म Jain Padam Natural, 225 Kevada Badi, Sojat City, Pali को पक्षकार (प्रतिवादी संख्या–2) बनाया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने व धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध कारित के संबंध में नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या–2 (Jain Padam Natural, 225 Kevada Badi, Sojat City, Pali की ओर से प्रोपराईटर .....लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No. 15/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनेश चौहान ने इस न्यायालय में दिनांक 10.11.2023 को जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 15.12.2023 को प्रतिवादी सुनील पुरी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी Jain Padam Natural, 225 Kevada Badi, Sojat City, Pali के प्रोपराईटर दिनेश चौहान की बहस सुनी गई। प्रतिवादी सुनील पुरी के अधिवक्ता ने निर्माता फर्म को दोषी बनाते हुए प्रतिवादी सुनील पुरी को दोषमुक्त करने का अनुरोध किया। जबकि प्रतिवादी संख्या–2 के प्रोपराईटर दिनेश चौहान ने यह व्यक्त किया कि यह उनका प्रथम अपराध है, उसका छोटा व्यापार है तथा भविष्य में अमानक खाद्य पदार्थ का निर्माण, पैकिंग व विक्रय नही करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 15.1.2022 को प्रतिवादी सुनील पुरी पुत्र लक्ष्मण पुरी, निवासी– पंचायत भवन के पास, सिवेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही की फर्म कामाख्या किराणा एण्ड जनरल स्टोर, सिवेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये एवं निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी सुनील पुरी से दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ अचार (पदम ब्राण्ड) के 5 पैक्ड प्लास्टिक जार (प्रत्येक 200 ग्राम) में से (अचार पदम ब्राण्ड) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 200 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किये एवं विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ अचार (पदम ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1588 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./228/Act/2022/213 दिनांक 03.2.2022 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी सुनील पुरी द्वारा खाद्य पदार्थ अचार (पदम ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत किया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थ अचार (पदम ब्राण्ड) की निर्माता Jain Padam Natural, 225 Kevada Badi, Sojat City, Pali है। इससे, स्पष्ट है कि अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ अचार (पदम ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु मुख्य रुप से Jain Padam Natural ही दोषी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)
प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No. 15/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	आदेश अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी Jain Padam Natural स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी सुनील पुरी को दोष मुक्त करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ अचार (श्री रामदूत ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी संख्या–2 दिनेश चौहान पुत्र मदन लाल जी, जाति– माली, निवासी– बेरा केवला बाडी, सोजत सिटी, जिला– पाली, प्रोपराईटर, फर्म Jain Padam Natural, 225 Kevada Badi, Sojat City, Pali पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी दिनेश चौहान को यह हिदायत दी जाती है कि भविष्य में मिथ्याछाप व अमानक खाद्य पदार्थो का निर्माण, पैकिंग व विक्रय नही करे। प्रतिवादी दिनेश चौहान, प्रोपराईटर Jain Padam Natural को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 06.2..2024 को पेश हो। (डॉ. भास्कर बिश्नोई) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001. Signature Not Verified Digitally signed by Bhaskar Bishnoi Date: 2024.01.30 17:20:14 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)